1

2024/267

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2024 (बांसवाड़ा आर्डर)

दिलीप कुमार जोशी पिता श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मीलाल जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पवन पिता गुमानेंग, जाति पटेल, निवासी बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती मोती बेवा गुमानेंग, जाति पटेल, निवासी बड़ोदिया, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा दिनांक 25.07.2024 प्र.सं. 12/2023

---/---

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एम. के. गांधी अभिभाषक रे. सं. 1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 29–08–2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के साबिक सर्वे नंबर 151 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, जिसके हाल सर्वे नंबर 205 रकबा 0.14 हैक्टर, 206 रकबा 0.14 हैक्टर एवं 205/2907 रकबा 0.02 हैक्टर वाके ग्राम बडोदिया में स्थित है, जिस पर प्रार्थी के परदादा श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल पिता जयशंकर काबिज होकर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके पुत्र लक्ष्मीलाल काबिज हुए तथा लक्ष्मीलाल की मृत्यु पश्चात प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी नंबर 203 से लगती हुई एडजोईनिंग है। चूंकि प्रार्थी के अन्य ख[illegible] आराजी नंबर 153 से लगता हुआ आराजी नंबर [illegible] नहीं है एवं दोनों खेत मिले हुए हैं, जिस पर प्रार्थी अपने [illegible] के समय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested.

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अर्थात 100 वर्षो से नियमित काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पूर्वज लक्ष्मीनारायण ने आराजी नंबर 151 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 17–01–1972 को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें कार्यवाही होकर दिनांक 20–01–1972 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा अस्थायी आवंटन करने हेतु तहसीलदार बागीदौरा को भेजा, किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि कब्जा निरन्तर प्रार्थी के पूर्वजों का रहा। हाल सर्वे नंबर 205/2907 रकबा 0.02 हैक्टर दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही पर्चा मौका प्रार्थी के पिता के नाम जारी किया गया तथा उक्त सर्वे नंबर खाते में दर्ज करना अंकित किया गया, लेकिन उसका तुलनात्मक नंबर साबिक 153 बता दिया, जबकि सर्वे नंबर 153 का हाल सर्वे नंबर 203 रकबा 0.28 हैक्टर यानी 1 बीघा 17 बिस्वा कायम किया जा चुका है, लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से सर्वे नंबर 205/2907 को साबिक सर्वे नंबर 153 का होना अंकित कर दिया गया, जो गलत है। वास्तव में सर्वे नंबर 205/2907 साबिक सर्वे नंबर 151 से निर्मित हुआ है। साबिक सर्वे नंबर 151 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पटवारी व राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर दिनांक 11–06–2002 को अपने नाम आवंटित करवा लिया, जबकि कब्जा प्रार्थी का ही चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर खेत मे मध्य में नालीनुमा खुदाई कर दी तथा प्रार्थी को खेत खाली करने की धमकी देते हैं। अतः साबिक सर्वे नंबर 151 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, जिसके हाल सर्वे नंबर 205 रकबा 0.14 हैक्टर, 206 रकबा 0.14 हैक्टर एवं 205/2907 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 25–07–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोडेन्ट 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एम. के. गांधी उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित सर्वे नंबर 151 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, जिसके हाल सर्वे नंबर 205 रकबा 0.14 हैक्टर, 206 रकबा 0.14 हैक्टर एवं 205/2907 रकबा 0.02 हैक्टर पर अपीलान्ट का कब्जा अपने दादा के समय से अर्थात 100 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। उक्त आराजियात अपीलान्ट के खाते की आराजी नंबर 203 से लगती हुई है, जो उनके पिता को दिनांक 20–07–1972 को अस्थायी रूप से आवंटित की गयी, किन्तु खाते में दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर दिनांक 11–06–2002 को अपने नाम पर आवंटित करवा ली, जबकि मौके पर अपीलान्ट का कब्जा होने से उनके द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया गया। दिनांक 27–05–2023 को आधी रात को रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर जे.सी.बी. से खुदाई करने पर विवाद उत्पन्न हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन किये सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया, जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2014 (2) आर.आर.टी. पेज 797 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 2002 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत आवंटित की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। कब्जा रेस्पोडेन्ट का चला आ रहा है, अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। तहसीलदार को आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को भूमि आवंटन किये जा[illegible] साक्ष्य नहीं है। जब रेस्पोडेन्ट को भूमि आवंटित [illegible] थी। आवंटन पश्चात रेस्पोडेन्ट को [illegible] हो चुके हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज है तथा जब तक अन्यथा कब्जा साबित न हो, कब्जा खातेदार का ही होने की अवधारणा ली जाती है एवं विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने भी कब्जेदार एवं खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25—07—2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29—08—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

29.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.25 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested